भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
07.08.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2736 का उत्तर

रेलवे स्टेशन में एकीकृत सुरक्षा योजना

2736. श्री सी. एन. अन्नादुरई:
श्री नवसकनी के.;
श्री जी. सेल्वम:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु सहित देश के चुनिंदा रेलवे स्टेशनों के लिए एक एकीकृत सुरक्षा योजना को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना पर कितना व्यय होने की संभावना है;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु चयनित रेलवे स्टेशनों के नाम क्या हैं; और

(ङ) रेलवे द्वारा संवेदनशील स्टेशनों पर चाक-चौबंद सुरक्षा मुहैया कराने के लिए अन्य क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

रेलवे स्टेशन में एकीकृत सुरक्षा योजना के संबंध में दिनांक 07.08.2024 को लोक सभा में श्री सी.एन. अन्नादुरई, श्री नवसकनी के और श्री जी. सेल्वम के अतारांकित प्रश्न सं. 2736 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (घ): रेलवे स्टेशनों पर निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए, भारतीय रेल ने 341.00 करोड़ रुपये की लागत से भारतीय रेल के 199 स्टेशनों पर एक एकीकृत सुरक्षा प्रणाली (आईएसएस) स्थापित करने की योजना बनाई है। एकीकृत सुरक्षा प्रणाली में एक क्लोज-सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) निगरानी प्रणाली, पहुंच नियंत्रण, व्यक्तिगत और सामान स्क्रीनिंग प्रणाली और बम डिटेक्शन सिस्टम शामिल है।

इस पहल के तहत, 207 बैगेज स्कैनर, 69 अंडर-व्हीकल स्कैनिंग सिस्टम (यूवीएसएस), और 129 बम का पता लगाने वाले उपकरण प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, विस्फोटकों का पता लगाने और ट्रैकिंग उद्देश्यों के लिए विभिन्न क्षेत्रीय रेलों में 416 प्रशिक्षित कुत्तों को तैनात किया गया है।

(ङ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इसलिए रेलों पर अपराध की रोकथाम करने, पता लगाने, पंजीकरण करने और जांच करना तथा कानून एवं व्यवस्था आदि बनाए रखने के लिए राज्य सरकारें अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों अर्थात् राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी)/जिला पुलिस के माध्यम से जिम्मेदार हैं। बहरहाल, रेल सुरक्षा बल यात्री क्षेत्र और यात्रियों को बेहतर संरक्षा और सुरक्षा मुहैया कराने तथा इनसे जुड़े मामलों के लिए राजकीय रेल पुलिस/जिला पुलिस के प्रयासों में सहायता करती है।

स्टेशनों पर यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा के लिए रेलवे द्वारा राजकीय रेल पुलिस के समन्वय से निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

1. **तत्काल सहायता के लिए यात्री रेल मदद पोर्टल पर सीधे या हेल्पलाइन नंबर 139 [आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली नंबर (ईआरएसएस) 112 के साथ एकीकृत] के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं।**

2. यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और उनकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए रेलवे ट्विटर, फेसबुक, कू आदि जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से यात्रियों के साथ नियमित संपर्क में रहती है।

3. चोरी, झपटमारी, जहरखुरानी आदि के प्रति सावधानी बरतने के लिए यात्रियों को शिक्षित करने हेतु जन उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से लगातार घोषणाएं की जाती हैं।

4. यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए रेलवे स्टेशनों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी जाती है।

5. रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था की नियमित निगरानी और समीक्षा के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित पुलिस महानिदेशक/आयुक्त की अध्यक्षता में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्य स्तरीय रेलवे सुरक्षा समिति (एसएलएससीआर) गठित की गई है।
